भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 109

उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

पिछड़े समुदायों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना

†109. **श्री एस. ज्ञानतिरावियम:**

श्री डी.एम. कथीर आनन्द:

श्री प्रताप सिम्हा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार तमिलनाडु और कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिए निधि और कोई अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत 5 वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु और कर्नाटक में ऐसे वंचित और पीड़ित समुदायों के शैक्षिक विकास के लिए समुचित सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, उपयुक्त सरकार को पड़ोस के स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिदेश देता है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के नियंत्रण में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों सहित

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता हेतु वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन कर रहा है। समावेशी और न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण और समग्र स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ जोड़ा गया है। योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं: (i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिशों को लागू करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना; (ii) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना; (iii) बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना; (iv) बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर जोर; (v) छात्रों के बीच 21वीं सदी के कौशल उपलब्ध कराने के लिए समग्र, एकीकृत, समावेशी और गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या एवं शिक्षाशास्त्र पर जोर; (vi) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के अधिगम परिणामों को बढ़ाना; (vii) स्कूली शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतराल को दूर करना; (viii) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना; (ix) शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा संस्थानों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन; (x) स्कूली शिक्षा प्रावधानों में सुरक्षित, निरापद और अनुकूल अधिगम माहौल और मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना और (xi) व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी), योजना के मानदंड, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) और योजनाओं के लिए बजट उपलब्धता तथा राज्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अधीन कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सरकार को जारी निधि की स्थिति इस प्रकार है:-

(लाख रुपये)

वर्ष	**कर्नाटक**	**तमिलनाडु**
2018-19	62784.00	147444.01
2019-20	73032.69	176912.17
2020-21	61010.01	162153.74
2021-22	47451.63	159882.18

समग्र शिक्षा लड़कियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों आदि के बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करती है। नामांकन, प्रतिधारण के विभिन्न संकेतकों पर प्रतिकूल प्रदर्शन और जेंडर समानता, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के संकेन्द्रण के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक विशेष फोकस जिलों (एसएफडी) की पहचान की गई है। समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु, समग्र शिक्षा में विभिन्न प्रावधान हैं जैसे निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी, लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय / उन क्षेत्रों के लिए छात्रावास जो कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए हैं (ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र)।

*****